संख्या-13/2019-644/58-2019-135/2016

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 25 मार्च, 2019**

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत उ0प्र0 आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन की योजना में अवशेष धनराशि रू0-16.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-9.05 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-228/बजट/2018-19, दिनांक 14.03.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत् लेखाशीर्षक-2401-108-**07-उ0प्र0 आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन की योजना में अवशेष धनराशि रू0-16.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-9.05 लाख** आपके निवर्तन पर रखे जाने तथा अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक/मद का नाम	कोड सं0/मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त हेतु अवशेष	अवमुक्त की जा रही धनराशि
2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-07-उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन	20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	18.00	18.00	0.00	0.00
	27-सब्सिडी	16.00	0.0	16.00	9.05
योग-		**34.00**	**18.00**	**16.00**	**9.05**

(रूपये-नौ लाख पाँच हजार मात्र)

1- सं0-27-सब्सिडी मद में अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति- 2014 के क्रियान्वयन ही किया जायेगा। अन्य कार्यक्रमों/मदों पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। जिसके लिए निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/वित्त नियंत्रक निदेशालय उद्यान उत्तरदायी होंगे।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की पुर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

4- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये।

5- धनराशि व्यय करने के पूर्व आवश्यकतानुसार भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाये।

7- अप्रयुक्त धनराशि यथासमय शासन को समर्पित की जायेगी।

8- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

9- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, अत: सब्सिडी मद हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

10- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-07-उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(इन्दुबाला कटियार)

संयुक्त सचिव।

संख्या-13/2019-644(1)/58-2019, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in